F–07–08
F–07–11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU –560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1270 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number: 1270

विषय / Sub : सॉलिड स्टेट कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (एसएससीवीआर)

मेन रिकॉर्डर यूनिट, पार्ट सं.: एमआरयू – 120/120बी

Solid State Cockpit Voice Recorder (SSCVR)
Main Recorder Unit, Part No.: MRU – 120 / 120 B

यह घोषित किया जाता है कि **मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,** सर्वो सिस्टम्स प्रभाग, ईसीआईएल पोस्ट, हैदराबाद - 500 062, आंध्र प्रदेश, द्वारा अभिकल्पित, विकसित तथा उत्पादित **"सॉलिड स्टेट कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (एसएससीवीआर), मेन रिकॉर्डर यूनिट",** पार्ट सं.: एमआरयू-120/120बी, को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1270, दिनांक 21 जून 2007 द्वारा वर्ग अनुमोदन संख्या 1270 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-1270/1आर, दिनांक 21 अगस्त 2012 द्वारा नवीकरण किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक था।

*This is to certify that the **"Solid State Cockpit Voice Recorder (SSCVR), Main Recorder Unit"** bearing Part No.: MRU–120 /120B, designed, developed and manufactured by **M/s Electronics Corporation of India Limited,** Servo Systems Division, ECIL Post, Hyderabad – 500 062, Andhra Pradesh was issued with Type Approval Number: 1270 vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA–1270, dated: 21st June 2007. Subsequently it was renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA–1270/1R, dated: 21st August 2012 with its validity up to 30th June 2017.*

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण **01 दिसम्बर 2017** से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा **30 नवम्बर 2022** तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के **तीन (3) महीने** पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (हैदराबाद),** सेमिलैक, हैदराबाद – 500 042, से अनुरोध करना होगा।

*This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. **01st December 2017** based on the satisfactory performance feedback and is valid up to **30th November 2022** unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request **RCMA (Hyderabad)**, CEMILAC, Hyderabad–500 042, **three (03) months** before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.*

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए–1270, दिनांक 21 जून 2007 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद **पॉंच** (05) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA–1270, dated: 21st June 2007 is amended as stated herewith.

"[अगर इस टाइप रिकोर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]"

*"[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification **(CEMILAC)**, Bengaluru–560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]".*

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered and fully applicable.

सं ./ No.: सेमिलैक/**CEMILAC/5070**/टी.ए/**TA–1270/2R**
दिनांक / **Date : 16 December 2017**
फैक्स सं. / **Fax No.: 080-25230856**

PB JR.

(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)